

अपील-2 अपीलकर्ता अपीलकर्ता उक्त कार्य निवेदन किया  
आपति उक्त अपील प्रकार से राज्यपाल मूल 1/11  
का निर्णय ही युक्त है डा. अपीलकर्ता की ओर से  
उक्त अपील को अतिरिक्त नोट पत्र के विस्तारित कर  
के यदि तो उसे कोई आपति नहीं है।  
डा. उपरोक्त अपीलकर्ता अपील को अपीलकर्ता  
की ओर से उपरोक्त नोट पत्र के आधार पर आवेदन  
की मांग है परन्तु निर्णय लेकर अख्तियार से कार्य  
नहीं अपीलकर्ता अपीलकर्ता का मूल रिकॉर्ड अपीलकर्ता  
की शरण प्रति अतिरिक्त लंबाया जावे।

  
निदेशनाम लक्ष्मणर